सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/160 दायर दिनांक 09.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. निहाल सिंह पुत्र चेनसिंह, जाति राजपुत, निवासी सागु कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, 2. विरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, 3. सुर्या कंवर पुत्री रणजीत सिंह, 4. राजेश कंवर पुत्री रणजीत सिंह, 5. गिरधारी सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, 6. आशा कंवर पुत्री गोविन्द सिंह, 7. याशिका शेखावत पुत्री गोविन्द सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी सागु कलॉ, तहसील डीडवाना, जिला नागौर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

उपस्थित :–

1. श्री हीरसिंह बलारा, रणजीत बलारा अधिवक्ता, वादी की और से।
2. श्री मोहम्मद रफिक अधिवक्ता प्रतिवादीगण की और से।

दिनांक 12.02.2018

–:: अन्तिम निर्णय ::–

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 406/36 रकबा 4.05 बीघा, खसरा संख्या 407/116 रकबा 11.04 बीघा व खसरा संख्या 408/172 रकबा 20.05 बीघा कुल 35.14 बीघा वाके सागु कलॉ स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व वादी की पत्नि गुलाब कंवर के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादी व प्रतिवादीगणक पैतृक भूमि है, तथा वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के है, वादी के पिता चेन सिंह का वर्षो पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है, तथा वादी के दो बहने सायर कंवर व मोहन कंवर थी, जिन दोनो का भी स्वर्गवास हो चुका है, तथा सांयर कंवर व मोहन कंवर की शादी करके उन्हे अपने अपने ससुराल में एक मुस्त धन दौलत देकर विदा कर दी तथा अपने अपने ससुराल में आराम से रह रही हैं, तथा स्वर्गीय सायर कंवर के दो पुत्र प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 तथा दो पुत्रिंया प्रतिवादी नम्बर 03 व 04 है, तथा स्वर्गीय मोहन कंवर के एक पुत्र प्रतिवादी नम्बर 05 व दो पुत्रिंया प्रतिवादी नम्बर 06 व 07 है, उक्त सभी प्रतिवादीगण बालिग है, जो अपने ननिहाल में रहते है और वहीं पर काश्त करते है। इनका उक्त खेतो से कोई सरोकार नहीं है, वादी की पत्नि गुलाब कंवर का भी हाल ही में करीब 1 वर्ष पहले स्वर्गवास हो चुका है। उक्त खेतो की खातेदारी में स्वर्गीय गुलाब कंवर का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, तथा इनकी मृत्यु के उक्त खेतो की खातेदारी का हकदार वादी ही है, क्योंकि वादी ही शुरू से लेकर आज तक काश्त करता आया है, तथा हर वर्ष खेतो के बाड़ करता आया है, तथा खाद्व वगैरह डालकर उपजाउ बना लिया है। वादी का उक्त खेतो पर अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन गुलाब कंवर की मृत्यु के बाद पटवारी हल्का उनके वारिसान प्रतिवादी नम्बर 1 ता 7 के नाम से नामान्तरकरण भरने का कह रहे है। जबकि इनका उक्त खेतो से कोई लेना देना नहीं रहा है। तथा पटवारी हल्का ने वादी को कहा कि कोर्ट में दावा करने पर ही आपके नाम से खातेदारी संभव है।

पृष्ठ संख्या .....2..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादी उक्त खेतो की सम्पूर्ण खातेदारी की घोषणा अपने अकेले के नाम से करवाना चाहता है। जिसका की वह जायज हकदार है, अतः वादी को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है। वादी की खातेदारी कब्जा काश्त के उक्त खेतो में प्रतिवादीगण ने किसी प्रकार का दखल कर दिया तो वादी को अजहद नुकसान होगा, जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से संभव नहीं होगी, वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 को वास्ते जवाब देही हेतु न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02, 03, 05, 07 ने जरिये अधिवक्ता जरिये राजीनामा पेश किया, जिसमें निवेदन किया कि वादी का वाद जरिये राजीनामा डिक्री कर दिया जावे। प्रतिवादी संख्या 01, 04, 06 बावजुद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1 है, राजीनामा प्रदर्श –2 है।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी की सारगर्भीत बहस सुनी, अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी ने वाद के साथ पेश राजीनामा के अनुसार वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सागु कलॉं में स्थित खेत खसरा संख्या 406/36 रकबा 4.05 बीघा व खसरा संख्या 407/116 रकबा 11.04 बीघा, खसरा संख्या 408/172 रकबा 20.05 बीघा कुल 35.14 बीघा की खातेदार वादी की माता स्वर्गीय गुलाब कंवर का नाम हटाकर उसकी जगह सम्पूर्ण खेतो की खातेदारी वादी निहाल सिंह के नाम खातेदारी घोषित कि जाती है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/160 दायर दिनांक 09.06.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. निहाल सिंह पुत्र चेनसिंह, जाति राजपुत, निवासी सागु कलॉं, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, 2. विरेन्द्र सिंह पुत्र रणजीत सिंह, 3. सुर्या कंवर पुत्री रणजीत सिंह, 4. राजेश कंवर पुत्री रणजीत सिंह, 5. गिरधारी सिंह पुत्र गोविन्द सिंह, 6. आशा कंवर पुत्री गोविन्द सिंह, 7. याशिका शेखावत पुत्री गोविन्द सिंह, समस्त जाति राजपुत, निवासी सागु कलॉं, तहसील डीडवाना, जिला नागौर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 188 R.T.Act.

दिनांक :– 12.02..2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादी की और से तथा मोहम्मद रफिक, अधिवक्ता, प्रतिवादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा सागू कलॉं पटवार क्षैत्र केराप भू–निरीक्षक क्षैत्र केराप, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद सागू कलॉं हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सागु कलॉं में स्थित खेत खसरा संख्या 406/36 रकबा 4.05 बीघा व खसरा संख्या 407/116 रकबा 11.04 बीघा, खसरा संख्या 408/172 रकबा 20.05 बीघा कुल 35.14 बीघा की खातेदार वादी की माता स्वर्गीय गुलाब कंवर का नाम हटाकर उसकी जगह सम्पूर्ण खेतो की खातेदारी वादी निहाल सिंह के नाम खातेदारी घोषित कि जाती है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो, तदनुसार रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.02.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांक –16–2015 / रीडर / 2018 / 208   दिनांक 15/2/18

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर	–		बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner